राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 2743 / SEIAA/2021
Date: 7/1/22

प्रति,

खनिज अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला सीहोर (म.प्र.)

विषय :– प्रकरण क्र. 8729/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री तनुज बोहरा आत्मज श्री पुखराज बोहरा, निवासी – जैन मंदिर रोड़, किला, आष्ठा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5001 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 52/9, ग्राम अहमदपुर, तहसील आष्ठा, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 699वी SEIAA बैठक दिनांक 29.12.2021 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 531वी बैठक दिनांक 06.12.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 531वीं बैठक दिनांक 06.12.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सीहोर के एकल प्रमाण पत्र क्र 2365 दिनांक 09.09.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान भी होना परिलक्षित है।

अतः प्रकरण में खनिज अधिकारी, सीहोर से प्रस्तावित खदान से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की वास्तविक स्थिति 30 दिवस में प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। संबंधितों को सूचित किया जाये।"

उपरोक्त निर्णयानुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की वास्तविक स्थिति 30 दिवस में प्रेषित करने का कष्ट करें।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

क्र.. 2744 /SEIAA/2021 भोपाल दिनांक 7/1/22

प्रतिलिपि :–

1. श्री तनुज बोहरा आत्मज श्री पुखराज बोहरा, निवासी – जैन मंदिर रोड़, किला, आष्ठा, जिला सीहोर (म.प्र.) की ओर सूचानार्थ।

प्रभारी अधिकारी